झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

रिट याचिका (एस) संख्या 2265 / 2023

एसके के पुत्र मो. मोबिन आलम। कुर्बान अली, उम्र लगभग 53 वर्ष वर्ष, निवासी-मोहल्ला-धातकीडीह, पोस्ट-बिस्टुपुर, थाना- जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, के पद से सेवानिवृत्त निजी सहायक, जिला कार्यालय, गिरिडीह, झारखंड।

... ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. सचिव, भारत संघ, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110011
2. आयुक्त केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ, केंद्रीय भविष्य निधि, 14 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
3. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय), 14 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
4. आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि, रांची, भागीरथी कॉम्प्लेक्स, सर्किट हाउस के पास, करमटोली, रांची-834001, झारखंड

... ... उत्तरदाता

कोरम: माननीय श्रीमान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री जोरोंग जेडन सांगा, अधिवक्ता

उत्तरदाता संख्या 2 से 4 के लिए : श्री पार्थ एसए स्वरूप पति, एडवोकेट।

CAV 09.04.2024 **घोषित दिनांक 25.04.2024**

सुजीत नारायण प्रसाद, जे.

प्रार्थना

1. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत है, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच, सर्किट बेंच, रांची द्वारा मूल अपील संख्या 051/00124/2022 में पारित दिनांक 17.11.2022 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत प्रतिवादी द्वारा मौलिक नियम 56(जे) के तहत दिनांक 28.04.2021 के आदेश के तहत पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया है।

तथ्य

2. आवेदक, रिट याचिकाकर्ता की ओर से दायर मूल आवेदन की दलील के आधार पर रिट याचिका में की गई दलील के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्यों को संदर्भित करने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है: -

3. रिट याचिकाकर्ता/आवेदक का मामला यह है कि याचिकाकर्ता ने 24/02/1992 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में स्टेनोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला और 02/05/2008 को 14/07/1997 से पूर्वव्यापी रूप से निजी सहायक (पीए) के रूप में पदोन्नत हुआ। याचिकाकर्ता संगठन का अनुशासित और समर्पित कर्मचारी था, उसने ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के साथ काम किया। याचिकाकर्ता को सेवा में

रहते हुए कभी भी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) में दर्ज कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी गई।

4. इसके बाद, श्रीमती दशमा बोबोंगा ने 23/06/2017 को सदर पुलिस स्टेशन, चाईबासा में एक एफआईआर संख्या 0073 दर्ज कराई, जिसमें झूठा आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता, उसकी बहन के बेटे 'संजात अल्डा' और राम चंद्र मुखी ने उसके और उसके बेटे और बेटी के बचत बैंक खाते से धोखाधड़ी से 1,91,000/- (एक लाख इक्यावन हजार रुपये मात्र) निकाल लिए हैं। उपरोक्त एफआईआर के अनुरूप, याचिकाकर्ता को 23/06/2017 को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 22,000/- (बाईस हजार रुपये मात्र) जब्त किए गए। याचिकाकर्ता को 04/09/2017 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। याचिकाकर्ता को आदेश संख्या के तहत 23/06/2017 से निलंबित माना गया जेएच/आरओ/जेएसआर/विग./एमए/2017/08 दिनांक 27/06/2017.

5. निलम्बन के दौरान याचिकाकर्ता का मुख्यालय आदेश संख्या 12 दिनांक 08/08/2017 के अनुसार जिला कार्यालय, गिरिडीह में परिवर्तित कर दिया गया था। तथापि, आदेश संख्या JH/RO/JSR/Vig./MA/2017/61 दिनांक 29/11/2017 के अनुसार याचिकाकर्ता का निलम्बन निरस्त कर दिया गया।

6. पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा स्थित उप दंडाधिकारी ने दिनांक 18.09.2017 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को बरी कर दिया।

7. 18/09/2017 को एलडी कोर्ट द्वारा बरी किए जाने पर, याचिकाकर्ता को ईपीएफ स्टाफ (सीसी एंड ए) नियम, 1971 के नियम 10 के तहत दिनांक 20/12/2018 को उन्हीं आरोपों के लिए आरोप ज्ञापन प्राप्त हुआ, जिनसे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को बरी कर दिया था, जो अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एसीसी), बिहार और झारखंड द्वारा जारी किया गया था, जिसके लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अभी भी जारी है।

8. याचिकाकर्ता ने आचरण नियमों के तहत 11/12/2018 को अपनी पत्नी के नाम पर एक फ्लैट खरीदने की अनुमति के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त अनुरोध प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह (i) व्यक्तिगत बचत रु. 10,00,000/- (दस लाख रुपये (ii) निकासी); एसपीएफ रु. 25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये मात्र) और (iii) व्यक्तिगत ऋण रु. 15,00,000/- (पंद्रह लाख रुपये मात्र) से विचारणीय राशि का वित्तपोषण करेगा। जिस पर सक्षम प्राधिकारी ने पत्र संख्या JH/RO/RNCAdm-I/ अचल संपत्ति/2018/9731 दिनांक 01/01/2019 द्वारा अनुमति प्रदान की। उपरोक्त अनुमोदन के अनुरूप; याचिकाकर्ता ने रु. फ्लैट के विक्रेता को 27,00,000/- (सत्ताईस लाख मात्र) का भुगतान करने के लिए 23,92,611/- (तेईस लाख निन्यानबे हजार छह सौ ग्यारह रुपए मात्र) अपने पीएफ खाते से तथा शेष राशि अपनी व्यक्तिगत बचत से निकाल कर भुगतान किया। इस लेन-देन के बाद, प्रतिवादी संख्या 4 ने अगले दो वर्षों में बचाए जाने वाले 10,00,000/- (दस लाख मात्र) रुपए की व्यक्तिगत बचत के बारे में विभिन्न पत्रों के माध्यम से पूछताछ शुरू कर दी।

9. डीओपीटी ने दिनांक 11/03/2016 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 25013/1/2016-स्था.-ए-IV जारी किया कि "जहां स्वायत्त संस्थानों ने मंत्रालय 56(जे), एफआर प्रशासनिक के प्रावधानों को अपनाया है, वे यह सुनिश्चित करें कि उनका अक्षरशः और भावना से सख्ती से पालन किया जाए।

10. इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 3 ने डीओपीटी के दिनांक 11/09/2015 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में मौलिक नियमों के नियम 56(जे) और सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत आवधिक समीक्षा से संबंधित परिपत्र संख्या एचआर/एवीएस/एनजेड/193/56जे/2015/589 दिनांक 14/06/2017 जारी किया और उसके अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 2 के अनुमोदन से मौलिक नियम 56(जे) और सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत संगठन के

अधिकारियों के मामले पर विचार करने के लिए स्क्रीनिंग समिति और समीक्षा समिति का गठन किया।

11. प्रतिवादियों ने एक अन्य परिपत्र संख्या एचआर/एवीएस/एनजेड/193/56-जे/2015/3959 दिनांक 05/08/2019 जारी किया जिसमें स्क्रीनिंग समिति में सतर्कता प्रतिनिधि की भागीदारी को समाप्त कर दिया गया।

12. क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त, रांची ने पत्र संख्या JH/RO/RNC/Adm-I/FR 56J/2018/795/16748 दिनांक 22/01/2020 के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी के विचारार्थ याचिकाकर्ता की मूल्यांकन शीट अग्रेषित की। मूल्यांकन रिपोर्ट में सही जानकारी नहीं दी गई है। आरपीएफसी ने यह अनुमान लगाते हुए राय व्यक्त की है कि अगले दो वर्षों में 10,00,000/- (केवल दस लाख रुपये) की बचत के बारे में उनकी जांच के कारण याचिकाकर्ता ने लेनदेन रद्द कर दिया। वास्तव में, इस तथ्यात्मक पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया कि विक्रेता/बिल्डर ने याचिकाकर्ता को धोखा दिया और धोखा दिया।

13. स्क्रीनिंग कमेटी जिसमें (i) अतिरिक्त केंद्रीय पीएफ आयुक्त, जो नियुक्ति प्राधिकारी हैं, (ii) क्षेत्र के आरपीएफसी-I जिन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट भेजी और (iii) सहायक निदेशक सतर्कता, जो समिति के सदस्य नहीं थे, शामिल हैं, का गठन दो कारणों से अवैध है; (i) सबसे वरिष्ठ सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी हैं और (ii) आरपीएफसी जिन्होंने समिति के सदस्य होते हुए प्रतिकूल मूल्यांकन रिपोर्ट भेजी और परिपत्र दिनांक 05/08/2019 के उल्लंघन में सहायक निदेशक सतर्कता को सदस्य के रूप में संबद्ध किया।

14. स्क्रीनिंग कमेटी ने 23/12/2020 को आयोजित अपनी बैठक में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया। स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपा गया कार्य याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड को एकत्रित करना और मौलिक नियमों के नियम 56 (जे) के तहत याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए समीक्षा समिति के समक्ष रखना था। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी

ने अपने अधिकार क्षेत्र और उसे सौंपे गए कार्य की अवहेलना करते हुए निष्कर्ष में सिफारिश करके समीक्षा समिति की भूमिका ग्रहण कर ली कि "उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य एकमत हैं कि मोहम्मद मोबिन आलम, पीए, मौलिक नियम 56 (जे) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए एक उपयुक्त मामला है। अधिकारी ने संगठन के लिए अपनी उपयोगिता समाप्त कर ली है और वास्तव में अतीत में भी संगठन के लिए कभी उपयोगी नहीं रहा है।" समिति के निष्कर्ष रिकॉर्ड पर तथ्यात्मक स्थिति के बिल्कुल विपरीत हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के मिनट केवल RPFC द्वारा भेजी गई मूल्यांकन रिपोर्ट की नकल कर रहे हैं।

15. समीक्षा समिति ने 03/09/2021 को आयोजित अपनी बैठक में स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश पर विचार किया। समीक्षा समिति ने आवेदक की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) पर विचार किया।

16. समीक्षा समिति चार्ज मेमोरेंडम संख्या 118/ZO (BR&JH)/ विग./ मोबिन आलम (PA)/JSR/1473 दिनांक 20/12/2018 से भी प्रभावित है, जो उन्हीं आरोपों के लिए जारी किया गया है, जिनसे ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को बरी कर दिया था। इसके अलावा, वे इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि चार्ज मेमोरेंडम के संबंध में जांच कार्यवाही आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए जारी थी और वे आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच और साबित करने के लिए शॉर्टकट के रूप में नियम 56 (जे) के तहत कार्रवाई का सहारा नहीं ले सकते।

17. याचिकाकर्ता को समय से पहले सेवानिवृत्ति की सिफारिश करते समय समीक्षा समिति स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश और स्क्रीनिंग समिति की टिप्पणियों से प्रभावित है कि याचिकाकर्ता की सामान्य प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता इतनी खराब है कि पीए के पद पर रहने के बावजूद किसी भी अधिकारी द्वारा उनकी सेवाओं का शायद ही कभी उपयोग किया गया हो। समीक्षा समिति का निष्कर्ष तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत है क्योंकि याचिकाकर्ता को विभिन्न अधिकारियों के साथ जोड़ा गया है। समीक्षा समिति ने आवेदक

को एफआर 56 (जे) के तहत समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए इस आधार पर सिफारिश की कि याचिकाकर्ता अप्रभावी रहा है और उसकी ईमानदारी संदिग्ध है जो कि स्पष्ट की गई तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत है।

18. अवैध, मनमाने आदेशों के विरुद्ध प्रतिवादियों के कृत्यों, कार्यों और निष्क्रियताओं से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने मूल अपील संख्या 050/00270/2021 दायर करके एल.डी. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच का दरवाजा खटखटाया। एल.डी. न्यायाधिकरण ने दिनांक 07/05/2021 के आदेश द्वारा उक्त मूल अपील का निपटारा करते हुए प्रतिवादियों को दिनांक 28/08/2020 के विषय पर डीओपीटी ओएम की भावना के अनुसार समय के भीतर आवेदक (यहां याचिकाकर्ता) के अभ्यावेदन पर विचार करने और आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

19. रिट याचिकाकर्ता/आवेदक का यह भी मामला है कि उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के समक्ष दिनांक 24/05/2021 और 24/06/2021 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए ताकि समय पर निर्णय लिया जा सके और ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार, एलडी द्वारा निर्देशित समय के भीतर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के बजाय, एलडी ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दायर करके समय विस्तार की मांग की। एलडी ट्रिब्यूनल द्वारा 10,000/- (केवल दस हजार) रुपये की लागत के भुगतान की शर्त पर समय विस्तार दिया गया था। समय विस्तार पर, प्रतिवादियों ने दिनांक 23.12.2021 के आदेश के तहत अभ्यावेदन समिति की सिफारिश पर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया।

20. उपर्युक्त तथ्यात्मक पहलू से यह स्पष्ट है कि रिट याचिकाकर्ता/आवेदक को 24.02.1992 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में स्टेनोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया था और 14.07.1997 को निजी सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था।

21. आवेदक के सेवा अभिलेखों की जांच करने के उद्देश्य से ईपीएफओ की स्क्रीनिंग कमेटी का गठन 14.06.2017 के परिपत्र के अनुसार किया गया था। उक्त समिति की बैठक

23.12.2020 को हुई और मौलिक नियम के नियम 56(जे) के तहत उनके मामले को सेवानिवृत्ति के लिए उपयुक्त पाया गया। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए लिया गया निर्णय 28.04.2021 को पारित किया गया।

22. रिट याचिकाकर्ता ने दिनांक 28.04.2021 के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर मूल आवेदन दायर करके न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था, जिसका 07.05.2021 को निपटारा कर दिया गया था और प्रतिवादियों को निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक के अभ्यावेदन पर विचार करने और आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था।

23. प्रतिवादियों ने दिनांक 23.12.2021 के आदेश द्वारा उक्त अभ्यावेदन पर विचार किया और उसे खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर मूल आवेदन मूल अपील संख्या 051/00124/2022 दायर किया गया है।

24. विद्वान न्यायाधिकरण ने लिखित बयान दाखिल करने वाले प्रतिवादियों को बुलाने के बाद तथा दोनों पक्षों की ओर से किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, समीक्षा समिति की सिफारिश में की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, आरोपित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए मूल आवेदन को खारिज कर दिया, जिसे न्यायाधिकरण के अनुसार, मनमाना या बिना किसी तथ्य के नहीं कहा जा सकता है, बल्कि, समिति ने उक्त रिपोर्ट पर विचार किया है, जिसमें आवेदक के सेवा रिकॉर्ड पर विचार किया गया है, जिसमें एपीएआर, ज्ञापन और समय की पाबंदी, परिश्रम और अनुपस्थिति के लिए अतीत में जारी की गई चेतावनियाँ, एफआईआर के पंजीकरण के माध्यम से आवेदक का सामान्य आचरण, उसकी गिरफ्तारी और बाद में समझौते के आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किया जाना और उसकी बचत के बारे में उसका टालमटोल वाला आचरण शामिल है, यही वर्तमान रिट याचिका का विषय है।

<u>रिट याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए तर्क</u>

25. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री जोरांग जेडन सांगा ने आरोपित आदेश का विरोध करते हुए निम्नलिखित आधार लिए हैं:-

(i) विद्वान न्यायाधिकरण तथ्यात्मक पहलू, विशेष रूप से इस तथ्य को समझने में विफल रहा है कि यदि आवेदक के संपूर्ण सेवा करियर पर विचार किया जाएगा, तो इसे प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है ताकि मौलिक नियमों के नियम 56(जे) के प्रावधान के अनुसार छंटनी के सिद्धांत के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।

(ii) आधार लिया गया है कि कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार, लोक सेवक के संपूर्ण सेवा करियर पर विचार किया जाना आवश्यक है और उसके बाद ही छंटनी के सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेने के उद्देश्य से एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाना है, लेकिन यहां, यदि आवेदक के संपूर्ण सेवा करियर पर विचार किया जाएगा, तो यह पता चलेगा कि सेवा करियर को प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है ताकि छंटनी के सिद्धांत के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए निर्णय लिया जा सके

(iii) यह आधार लिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता का मामला भी उसकी पदोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखा गया था। विभागीय पदोन्नति समिति ने रिट याचिकाकर्ता के मामले को पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया है, जो यह भी सुझाव देता है कि रिट याचिकाकर्ता/आवेदक का सेवा कैरियर ऐसा नहीं बताया गया था जिससे छंटनी सिद्धांत के तहत निर्णय लिया जा सके।

26. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उपरोक्त आधार पर दलील दी है कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश अवैधानिक है और इसलिए कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है।

<u>प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत तर्क</u>

27. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के विद्वान वकील श्री पार्थ एस.ए. स्वरूप पति ने निम्नलिखित आधारों पर विवादित आदेश का बचाव किया है:-

(i) रिट याचिकाकर्ता की ओर से यह आधार लेना गलत है कि संपूर्ण सेवाकाल को ध्यान में नहीं रखा गया है, बल्कि, यदि स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय को ध्यान में रखा जाएगा, तो रिट याचिकाकर्ता के संपूर्ण सेवाकाल को ध्यान में रखा गया है, जो कि स्पष्टीकरण योग्य है।

(ii) रिट याचिकाकर्ता का सेवाकाल अच्छा नहीं पाया गया है, इसलिए फंडामेंटल रूल के नियम 56(जे) में निहित प्रावधान के अनुसार छंटनी के सिद्धांत के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया गया है।

(iii) इस आधार पर कि रिट याचिकाकर्ता का मामला उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखा गया था, लेकिन तथ्य यह है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाते हुए संस्तुति की गई थी, लेकिन विभागीय कार्यवाही के लंबित होने के कारण उक्त संस्तुति को सीलबंद लिफाफे में रखा गया था। उक्त विभागीय कार्यवाही अंततः दंड के आदेश में परिणत हुई है और इसलिए, रिट याचिकाकर्ता को कभी पदोन्नति नहीं दी गई है, इसलिए, उपरोक्त आधार कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है।

(iv) विद्वान न्यायाधिकरण ने स्क्रीनिंग समिति की सम्पूर्ण रिपोर्ट पर विचार किया है, जैसा कि आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ-12 से स्पष्ट होता है, तथा उसके आधार पर, यदि विद्वान न्यायाधिकरण को प्राधिकरण के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली है, तो उसे त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

28. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त आधार पर दलील दी है कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए रिट याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

<u>विश्लेषण</u>

29. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा विवादित आदेश में विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पर विचार किया है।

30. इस न्यायालय को, सर्वप्रथम, यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि चूंकि रिट याचिकाकर्ता की ओर से यह मुद्दा उठाया गया है कि रिट याचिकाकर्ता का सेवाकाल प्रतिकूल नहीं है, जिससे सिद्धांत को समाप्त करने के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया जा सके, इसलिए, सेवा रिकॉर्ड को मंगाना उचित और उचित समझा जाता है, जैसा कि दिनांक 07.02.2024 के आदेश से प्रकट होता है, ताकि उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।

31. सम्पूर्ण सेवा रिकार्ड की फोटो प्रति अवलोकनार्थ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

32. इस न्यायालय ने सम्पूर्ण सेवा रिकार्ड का अवलोकन किया है।

33. यह न्यायालय, आरोपित आदेश की वैधता और औचित्य की जांच करने से पहले, मूल नियम के नियम 56(जे) के प्रावधान को संदर्भित करना उचित और उचित समझता है, जो इस प्रकार है:-

> **"मूल नियम 56(जे)-**
>
> इस नियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि उपयुक्त प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो उसे किसी सरकारी कर्मचारी को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, ऐसे नोटिस के बदले में तीन महीने का वेतन या भत्ते: (i) यदि वह समूह ए या समूह बी सेवा या किसी मौलिक, अर्ध-स्थायी या अस्थायी क्षमता में पद पर है और 35 वर्ष की आयु से पहले सरकारी सेवा में आया था, उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद। (ii) किसी अन्य मामले में उसके पचपन वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद"

34. उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यदि किसी लोक सेवक की सेवा उचित/संतोषजनक न पाई जाए तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करके उस कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

35. पूर्व शर्त यह है कि ऐसा निर्णय लेने से पहले 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 35 वर्ष की आयु से पहले की सेवा अवधि पर विचार किया जाना चाहिए।

36. यह न्यायालय इस संबंध में न्यायिक घोषणाओं को संदर्भित करना उचित और उपयुक्त समझता है।

37. बैकुंठ नाथ दास एवं अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा एवं अन्य, (1992) 2 एससीसी 299 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए समयपूर्व सेवानिवृत्ति के मुद्दे के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है। तत्पर संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफों को निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा है -

> "32. हमें यह कहते हुए नहीं समझा जाना चाहिए कि प्रतिकूल टिप्पणियों को संप्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है या सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, (ऐसी टिप्पणियों के खिलाफ) पर विचार करने या उनका निपटारा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिकूल टिप्पणियों को सामान्य तरीके से संप्रेषित किया जाना चाहिए, जैसा कि उस संबंध में नियमों/आदेशों द्वारा अपेक्षित है। उनके खिलाफ किए गए किसी भी अभ्यावेदन को सामान्य तरीके से उचित तत्परता के साथ निपटाया जाना चाहिए। हम बस इतना कह रहे हैं कि एफआर 56(जे) (या इसके अनुरूप नियम) के तहत कार्रवाई को ऐसे अभ्यावेदन या अभ्यावेदनों के निपटान या अंतिम निपटान की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा भी मामला हो। कुछ मामलों में, ऐसा हो सकता है कि हाल के वर्षों की कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को संप्रेषित नहीं किया गया है या यदि संप्रेषित किया गया है, तो उस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन विचाराधीन हैं। केवल इस कारण से,

एफआर 56(जे) के तहत कार्रवाई को वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि समीक्षा समिति या सरकार, यदि वह ऐसी असंप्रेषित टिप्पणियों पर विचार करना चाहती है, तो इस तथ्य के प्रति सचेत या जागरूक नहीं होगी कि उन्हें सरकारी कर्मचारी को संप्रेषित नहीं किया गया है और उन्हें स्पष्टीकरण देने या उनका खंडन करने का अवसर नहीं दिया गया है। इसी तरह, यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई अभ्यावेदन किया गया है, तो उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम दोहरा सकते हैं कि न केवल समीक्षा समिति आम तौर पर उच्च और जिम्मेदार अधिकारियों से बनी होती है, बल्कि शक्ति केवल सरकार में निहित होती है, न कि किसी छोटे अधिकारी में। यह असंभव है कि कई वर्षों तक प्रतिकूल टिप्पणियां असंप्रेषित रहें और फिर भी उन्हें कार्रवाई का प्राथमिक आधार बनाया जाए। ऐसी असंभावित स्थिति, यदि वास्तव में मौजूद है, तो कानून में दुर्भावना का संकेत हो सकती है। हम इस संबंध में उल्लेख कर सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदान किया गया उपाय कोई कम महत्वपूर्ण सुरक्षा नहीं है। अपनी सुप्रसिद्ध बाधाओं के बावजूद, यह उपाय दुर्भावनापूर्ण, विकृत या मनमानी कार्रवाई के खिलाफ एक प्रभावी जांच है।

33. इस स्तर पर, हम स्पष्टीकरण का एक नोट जोड़ना उचित समझते हैं। सामान्यतः जो संप्रेषित करने की आवश्यकता होती है वह प्रतिकूल टिप्पणियां होती हैं - गोपनीय पंजिकाओं में की गई प्रत्येक टिप्पणी, टिप्पणी या अवलोकन नहीं। टिप्पणियों, अवलोकनों और टिप्पणियों की कोई भी संख्या हो सकती है, जो प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं बनाती हैं, लेकिन फिर भी एफआर 56(जे) या इसके अनुरूप नियम के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक हैं। जिस उद्देश्य और प्रयोजन के लिए इस शक्ति का प्रयोग किया जाना है, उसे जेएन सिन्हा [(1970) 2 एससीसी 458: (1971) 1 एससीआर 791] और अन्य निर्णयों में अच्छी तरह से बताया गया है।

34. उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित सिद्धांत उभर कर आते हैं:

(i) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कोई सजा नहीं है। इसमें न तो कोई कलंक है और न ही किसी तरह के दुर्व्यवहार का संकेत।

(ii) यह आदेश सरकार द्वारा यह राय बनाने पर पारित किया जाना चाहिए कि किसी सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना जनहित में है। यह आदेश सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया जाता है।

(iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायिक जांच को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। हालांकि उच्च न्यायालय या यह न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में मामले की जांच नहीं करेगा, लेकिन वे हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हैं कि आदेश (ए) दुर्भावनापूर्ण है या (बी) यह किसी सबूत पर आधारित नहीं है या (सी) यह मनमाना है - इस अर्थ में कि कोई भी उचित व्यक्ति दी गई सामग्री पर अपेक्षित राय नहीं बनाएगा; संक्षेप में, यदि यह एक विकृत आदेश पाया जाता है।

(iv) सरकार (या समीक्षा समिति, जैसा भी मामला हो) को मामले में निर्णय लेने से पहले सेवा के पूरे रिकॉर्ड पर विचार करना होगा - बेशक बाद के वर्षों के रिकॉर्ड और प्रदर्शन को अधिक महत्व देना होगा। इस प्रकार विचार किए जाने वाले रिकॉर्ड में स्वाभाविक रूप से गोपनीय रिकॉर्ड/चरित्र रोल में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रविष्टियां शामिल होंगी। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो ऐसी टिप्पणियां अपनी तीक्ष्णता खो देती हैं, खासकर तब, जब पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता (चयन) के आधार पर होती है।

(v) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश केवल इस बात पर न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है कि इसे पारित करते समय असंप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा गया था। वह परिस्थिति अपने आप में

हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकती। हस्तक्षेप केवल ऊपर (iii) में उल्लिखित आधारों पर ही स्वीकार्य है। इस पहलू पर ऊपर पैरा 30 से 32 में चर्चा की गई है।"

38. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस रामचंद्र राजू बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में, (1994) अनुपूरक 3 एससीसी 424 में रिपोर्ट किए गए पैराग्राफ-10 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

"10. इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और इससे पहले उद्धृत तथ्यों पर विचार करने पर हम पाते हैं कि सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग शक्ति के मनमाने प्रयोग या सेवा के कुल रिकॉर्ड को निष्पक्ष रूप से ध्यान में रखने में विफलता की श्रेणी में आता है। इसने अपीलकर्ता को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए आधार के रूप में वर्ष 1987-88 की एकमात्र प्रतिकूल रिपोर्ट को ही लिया है। समीक्षा समिति ने भी केवल उस रिपोर्ट पर विचार किया, न तो पहले की रिपोर्टों और न ही बाद की रिपोर्टों पर विचार किया गया। यह देखा गया है कि निस्संदेह अपीलकर्ता को प्रतिकूल रिपोर्ट के बाद रीडर के रूप में पदोन्नत किया गया था और प्रतिकूल टिप्पणियां उसे बताई गई थीं और एक यांत्रिक तरीके से उन्होंने प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए रिपोर्ट (इस तरह के प्रतिनिधित्व) को खारिज कर दिया, यहां तक कि अपीलकर्ता के इस तर्क पर ध्यान दिए बिना कि तत्कालीन प्रिंसिपल ने गोपनीय रिपोर्ट में गलत या झूठा प्रस्तुत करके दुर्भावना से काम लिया था पहले और बाद की अवधि के सुसंगत रिकॉर्ड से यह स्थापित होगा कि अपीलकर्ता के पास शिक्षक के रूप में सेवा का सराहनीय रिकॉर्ड है और सेवा के प्रति उसकी निष्ठा अच्छी और निष्पक्ष है और वह अनुशासन बनाए रखता है, छात्रों के साथ अच्छे संबंध रखता है और एक शिक्षक के रूप में अच्छे ज्ञान के साथ छात्रों को निष्पक्ष रूप से पढ़ाता है। इसलिए, उस पृष्ठभूमि में शक्ति का प्रयोग अवैध है।"

39. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में, जैसा कि पंजाब राज्य बनाम गुरदास सिंह के मामले में (1998) 4 एससीसी 92 में कहा गया है, त्वरित संदर्भ के लिए उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफों को निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा है:-

> "10. भारत संघ बनाम वीपी सेठ [1994 एससीसी (एल एंड एस) 1052: (1994) 27 एटीसी 851: एआईआर 1994 एससी 1261] में प्रतिवादी को पचास वर्ष की आयु पूरी करने और उसके सेवा रिकॉर्ड को देखने के बाद सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने इस आदेश को प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर बेंच के समक्ष चुनौती दी। न्यायाधिकरण ने समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रतिवादी की गोपनीय रिपोर्ट में की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां उन्हें नहीं बताई गई थीं और फिर भी उन्हें आरोपित आदेश पारित करने में ध्यान में रखा गया था। भारत संघ का रुख यह था कि प्रतिवादी की सेवा के पूरे रिकॉर्ड को ध्यान में रखा गया था इस न्यायालय ने पाया कि यह स्पष्ट है कि अधिकारी के समग्र मूल्यांकन पर उसकी ईमानदारी संदिग्ध पाई गई और इसलिए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि 1985-86 और 1986-87 की प्रतिकूल टिप्पणियों को संप्रेषित नहीं किया गया था और चूंकि प्रतिवादी की ईमानदारी के संबंध में पहले की प्रतिकूल टिप्पणियां उसके बाद की पदोन्नति के कारण फीकी पड़ गई थीं, इसलिए अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के माध्यम से उसकी सेवाएं समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं था। बैकुंठ नाथ दास [(1992) 2 एससीसी 299: 1993 एससीसी (एल एंड एस) 521: (1992) 21 एटीसी 649] और सीएसएन मूर्ति [(1992) 2 एससीसी 317: 1993 एससीसी (एल एंड एस) 710: (1992) 21 एटीसी 664] में इस न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा करते हुए इस अदालत ने देखा कि कानून की स्थिति तय हो चुकी है और न्यायाधिकरण का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह उक्त दो फैसलों

में निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है। 11. वर्तमान मामले के तथ्य यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वीपी सेठ [1994 एससीसी (एल एंड एस) 1052: (1994) 27 एटीसी 851: एआईआर 1994 एससी 1261] के तथ्यों के काफी समान हैं। यहां भी एकमात्र आधार जिस पर गुरदास सिंह को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का आदेश रद्द किया गया था, वह यह था कि सहायक उप-निरीक्षक से उप-निरीक्षक के पद पर उनकी पदोन्नति के बाद दो प्रतिकूल प्रविष्टियों के बारे में उन्हें सूचित नहीं किया गया था और पहले की प्रतिकूल प्रविष्टियों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि जब वे मौजूद थीं तब भी गुरदास सिंह ने अपनी पदोन्नति अर्जित की थी। हमारे लिए उन सिद्धांतों को दोहराना आवश्यक नहीं है जहां न्यायालय किसी कर्मचारी की समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश में हस्तक्षेप करेगा क्योंकि इन्हें इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और विशेष रूप से बैकुंठ नाथ दास मामले [(1992) 2 एससीसी 299: 1993 एससीसी (एल एंड एस) 521: (1992) 21 एटीसी 649] द्वारा सटीक रूप से निर्धारित किया गया है। किसी सरकारी कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का निर्णय लेने से पहले अधिकारियों को सेवा के पूरे रिकॉर्ड पर विचार करने की आवश्यकता होती है। पदोन्नति प्राप्त करने या दक्षता बार पार करने या उच्च रैंक प्राप्त करने से पहले किसी भी प्रतिकूल प्रविष्टि को मिटाया नहीं जाता है और कर्मचारी के पूरे सेवाकाल के दौरान उसके समग्र प्रदर्शन पर विचार करते समय इसे ध्यान में रखा जा सकता है, चाहे उसे सेवा में बनाए रखना सार्वजनिक हित में हो। कर्मचारी के पूरे सेवा रिकॉर्ड में कोई भी असंप्रेषित प्रतिकूल प्रविष्टि भी शामिल होगी।"

40. उपर्युक्त निर्णयों से स्पष्ट है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लेने से पूर्व छंटनी सिद्धांत के अन्तर्गत सिद्धांत निर्धारित किया गया है।

41. उपरोक्त विधि प्रस्ताव से यह स्पष्ट है कि लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए सम्पूर्ण सेवा रिकार्ड देखा जाना चाहिए तथा केवल एक घटना के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता।

42. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम हरि कृष्ण वर्मा (सिविल अपील संख्या 4784/2007) मामले में (2015) 13 एससीसी 156 में रिपोर्ट की गई, पैराग्राफ-12 में प्रस्ताव इस प्रकार रखा है:-

> "12. इस मामले पर आते हुए, जैसा कि हम आदेश से पाते हैं, इसमें अतीत में पारित आदेश को दर्शाया गया है, एसीआर पर ध्यान दिया गया है और यह राय दी गई है कि प्रतिवादी अयोग्य था और तदनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया गया। इस पृष्ठभूमि में विचार के लिए जो प्रश्न उभरा है वह यह है कि क्या इस तरह के आदेश को कलंक माना जा सकता है? कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सजा नहीं है। यह कलंक भी नहीं लगाता है। लेकिन जब किसी निगमन या किसी संदर्भ या अन्यथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश से कुछ कलंक जुड़ जाता है, तो इसे सजा का आदेश माना जाएगा, जो नियमों या विनियमों के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की अपनी विशेषताओं को पूरी तरह से खोकर एक अलग श्रेणी में आता है, जिसके तहत उसे एक विशेष आयु प्राप्त करने के बाद पद पर बने रहने की अनुमति नहीं है।"

43. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के उपरोक्त प्रस्ताव से यह स्पष्ट है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लेते समय किसी एक या दूसरे लोक सेवक के सम्पूर्ण सेवा रिकार्ड पर विचार किया जाना अपेक्षित है, न कि केवल एक आधार पर ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए।

44. यह न्यायालय, उपरोक्त निर्णयों पर विचार करने और मामले के तथ्यों पर ध्यान देने के बाद, दलील से स्पष्ट है कि स्क्रीनिंग कमेटी का गठन रिट याचिकाकर्ता के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड की जांच करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसे विद्वान न्यायाधिकरण

ने नोट कर लिया है, जैसा कि 17.11.2022 के आरोपित आदेश के पैराग्राफ-19 से प्रकट होता है।

45. विद्वान न्यायाधिकरण ने आवेदक के सेवा अभिलेखों के संबंध में पूर्वोक्त समीक्षा समिति की सिफारिश में दिए गए संदर्भ पर विचार किया है, जिसमें एपीएआर, ज्ञापन और समय की पाबंदी, परिश्रम और अनुपस्थिति में लापरवाही के लिए अतीत में जारी की गई चेतावनियां, एफआईआर के पंजीकरण के माध्यम से प्रदर्शित आवेदक का सामान्य आचरण, उसकी गिरफ्तारी और बाद में समझौते के आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किया जाना तथा उसकी बचत के बारे में उसका टालमटोल वाला आचरण शामिल है।

46. इस न्यायालय ने उपर्युक्त निष्कर्ष की जांच करने के लिए पूरे रिकॉर्ड को अपने अवलोकन के लिए बुलाया है ताकि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की वैधता और औचित्य के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, जिससे यह स्पष्ट है कि स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट भी उक्त दस्तावेज का हिस्सा है और जिसकी बैठक 23.12.2020 को हुई थी, जिससे यह स्पष्ट है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने वर्ष 1997-1998 से रिट याचिकाकर्ता के एपीएआर के आधार पर कार्य निष्पादन मूल्यांकन पर विचार किया है।

47. सतर्कता प्रोफ़ाइल को भी ध्यान में रखा गया है, जिसमें मामला जीआर संख्या 318/2017/टीआर संख्या 461/2017 है, जो आईपीसी की धारा 467, 468, 471 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अतिरिक्त सीजेएम पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत में रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर किया गया था।

48. याचिकाकर्ता और लाभार्थी के बीच हुए समझौते के आधार पर उक्त मामले को बंद करने पर विचार किया गया है।

49. ईपीएफ स्टाफ (सीसीएंडए) नियम, 1971 के नियम 10 के तहत जारी किए गए दिनांक 20.12.2018 के एक चार्ज ज्ञापन का संदर्भ भी लिया गया है।

50. सेवा पुस्तिका में संप्रेषित प्रविष्टियों के विवरण को ध्यान में रखा गया है, साथ ही रिट याचिकाकर्ता की ओर से अधिकारियों द्वारा किए गए संपत्ति लेनदेन की सूचना देने में विफलता को भी ध्यान में रखा गया है, तत्पर संदर्भ के लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किए गए विचार के पैराग्राफ 4.2, 4.3 और 4.4 में उल्लिखित विवरण निम्नानुसार संदर्भित किए जा रहे हैं:-

"4.2 सतर्कता प्रोफाइल-

4.2.1 श्री मोबिन आलम, पीए के खिलाफ चाईबासा में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पश्चिमी सिंहभूम की अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471, 420 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला संख्या जीआर केस संख्या 318/2017/टीआर संख्या 461/17 दायर किया गया था। श्री मोबिन आलम पीए को जिला और सत्र न्यायाधीश- I चाईबासा ने दिनांक 18.07.2017 के आदेश के तहत बरी कर दिया था लेकिन बरी होने का आधार आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौता था। मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:- **i.** श्री मोबिन आलम, पीए, जिला कार्यालय, गिरिडीह ने क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर में निजी सहायक के रूप में कार्य करते हुए धोखाधड़ी की और श्रीमती के पेंशन खातों से 1,91,000/- रुपये निकाल लिए दशमा बोबोंगा पत्नी स्वर्गीय रसाई बोबोंगा निवासी चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम और उसके दो बच्चों ने दो अन्य साथियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी की। उनके खिलाफ सदर थाना, चाईबासा में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस प्राधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें नकद राशि 22,000 रुपये के साथ गिरफ्तार कर लिया।

ii. ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 18.09.2017 को इस प्रकार सुनाया - "अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि अवैध लेनदेन के दौरान सभी आरोपी व्यक्तियों ने सूचक, उसके बेटे और बेटी के खाते से राशि निकालने के लिए कोई जाली दस्तावेज तैयार नहीं किया है। इसलिए, धारा

467, 468, 471, 120 (बी) आईपीसी के तहत अपराधों के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है, बाकी धारा 420 आईपीसी अदालत की अनुमति से समझौता योग्य है वे अपने विवाद को खुशी-खुशी निपटाने के लिए सहमत हो गए। सूचक, पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3 ने कहा है कि समझौता के आधार पर आरोपी को सारी राशि वापस कर दी गई है और दोनों पक्षों ने अपने विवाद को सुलझा लिया है और वे इस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। 01.07.2017 को संयुक्त समझौता याचिका पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनकी पहचान उनके संबंधित वकील द्वारा की गई है। इसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है। समझौता याचिका उचित है। ऐसी परिस्थितियों में समझौता याचिका स्वीकार की जाती है। इसलिए, आरोपी व्यक्ति अर्थात् 1. मोबिन आलम 2. राम चंद्र मुखी और 3. संजय अल्डा को इस मामले के सभी आरोपों से समझौता के आधार पर बरी किया जाता है। उन्हें उनके संबंधित जमानत बांड की देनदारियों से भी मुक्त किया जाता है।

4.2.2 ईपीएफ स्टाफ (सीसीए) नियम, 1971 के नियम 10 के अंतर्गत दिनांक 20.12.2018 को एक आरोप ज्ञापन संख्या 118/Zo(BR&JH)/विग./मोबिन आलम (PA)/JSR/1473 जारी किया गया है जो जांच के चरण में लंबित है। उक्त आरोप ज्ञापन में अधिकारी के विरुद्ध आरोप हैं- (a) मो. मोबिन आलम, पीए, जिला कार्यालय, गिरिडीह ने क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर में निजी सहायक के रूप में कार्य करते हुए जानबूझकर धोखाधड़ी करके और श्रीमती दशमा बोबोंगा, पत्नी स्वर्गीय रसाई बोबोंगा, निवासी चाईबासा के बचत बैंक खाते से 1,91,000/- रुपये की राशि निकालने में मदद करके गंभीर कदाचार किया। पूर्वी सिंगबम और उसके दो बच्चों के बचत बैंक खाते से अन्य सहयोगियों अर्थात् श्री राम चंद्र मुखी पुत्र श्री बोगेश्वर मुखी मेडिकल बस्ती धातकीडीह, बिष्टुपुर और श्री संजय आल्डा, पुत्र श्री जाम राय आल्डा, ग्राम- हरिलाटोला, बस्ती धातकीडीह, बिष्टुपुर और श्री संजय आल्डा पुत्र श्री जाम राय आल्डा, ग्राम हरिलाटोला, थाना मुफस्सिल चाईबासा के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी से। (ख) मो. मोबिन आलम, पीए, जिला कार्यालय, गिरिडीह, क्षेत्रीय

कार्यालय, जमशेदपुर में निजी सहायक के रूप में कार्यरत थे, कथित तौर पर मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त किए बिना 23.06.2017 को पंजाब नेशनल बैंक, चाईबासा में पाए गए। उन्होंने 23.06.2017 के लिए प्रतिबंधित अवकाश लिया था, लेकिन मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया मुख्यालय अवकाश की अनुमति नहीं लेने के मामले की पुष्टि क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर द्वारा पत्र संख्या JH/RO/JSR/Adm/Pers/528/03/409 दिनांक 02.11.2018 के माध्यम से की गई है। यह प्रावधान FR-11 का उल्लंघन है जिसमें प्रावधान है कि सरकारी सेवक को मुख्यालय छोड़ने से पहले मुख्यालय छोड़ने की अनुमति आवश्यक है।

4.3 सेवा पुस्तिका में संप्रेषित प्रविष्टियों का विवरण-

पुस्तक:

i. ज्ञापन दिनांक 22.01.2003 - बिना किसी अनुमति के नियमित रूप से अपने स्थान से बाहर निकलने और कार्यालय का समय छोड़ने के लिए।

ii. ज्ञापन दिनांक 18.02.2003 - सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति या सूचना के बिना अपनी सीट छोड़ने और कार्यालय छोड़ने के लिए।

iii. ज्ञापन दिनांक 01.02.2005 - उसे सौंपे गए कार्य का निपटान करने में विफल रहने के लिए।

iv. ज्ञापन दिनांक 06.07.2005 - बिना अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहने तथा दैनिक कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु।

v. ज्ञापन दिनांक 05.08.2005 - समय पर रहने तथा उसे सौंपे गए कार्य को निपटाने हेतु।

vi. ज्ञापन दिनांक 25.11.2005 - समय पर कार्यालय नहीं आने हेतु।

vii. कार्यालय ने दिनांक 20.04.2006 को नोट किया - श्री मोबिन आलम को 20.04.2006 को उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति नहीं दी क्योंकि वे समय पर कार्यालय नहीं आए तथा उनकी अनुपस्थिति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित किए जाने तक अवैतनिक अवकाश माना गया।

viii. ज्ञापन दिनांक 18.05.2012 - 18.05.2012 को अपराह्न 2.00 बजे कार्यालय से अनुपस्थित रहने हेतु

ix. ज्ञापन दिनांक 28.08.2012 - 28.08.2012 को अपराह्न 3.00 बजे कार्यालय से अनुपस्थित रहने के लिए।

x. कार्यालय नोट दिनांक 25.09.2012 - 28.08.2012 को कार्यालय से अनुपस्थित रहने के लिए। कार्यालय नोट दिनांक 25.09.2012 के संदर्भ में 27.09.2012 को एपीएफसी (कैश) द्वारा दिया गया नोट - जिसमें कहा गया है कि श्री मोबिन आलम का प्रस्तुतीकरण बिल्कुल गलत और निराधार है।

xi. चेतावनी दिनांक 20.11.2012 - बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने के लिए।

xii. ज्ञापन दिनांक 06.02.2014 - नियत तिथि के भीतर शिकायत मामले का निपटारा नहीं करने के लिए।

xiii. ज्ञापन दिनांक 27.03.2014 - 27.03.2014 को अपराह्न 12.45 बजे बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित रहने के लिए

xiv. ज्ञापन दिनांक 05.12.2014 - बिना किसी सूचना/पूर्व अनुमति के ड्यूटी से फरार होने के लिए।

xv. ज्ञापन दिनांक 18.02.2015 - कार्यालय में देर से आने के साथ-साथ बुलाए जाने पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के लिए।

xvi. ज्ञापन दिनांक 13.05.2016 - बिना किसी सूचना के 12.05.2016 को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के लिए।

xvii. रिकॉर्ड करने योग्य चेतावनी दिनांक 14.06.2016 - अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए।

xviii. ज्ञापन दिनांक 30.03.2017 - 30.03.2017 को कार्यालय से अनुपस्थित रहने के लिए।

xix. चेतावनी दिनांक 13.04.2017 - कार्यालय से अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए।"

4.4 अधिकारी द्वारा किए गए संपत्ति लेनदेन की सूचना के संबंध में- 11.12.2018 को, उन्होंने परिशिष्ट-V में एक आवेदन दिया था जिसमें सीसीएस आचरण नियम, 1964 के नियम 18(2) के तहत 50,00,000 (पचास लाख) रुपये के फ्लैट की खरीद के संबंध में पूर्व सूचना या पूर्व मंजूरी मांगी गई थी, जिसमें फंडिंग का स्रोत व्यक्तिगत बचत से 10,00,000/- रुपये, व्यक्तिगत ऋण से 15,00,000/- रुपये और एसपीएफ से 25,00,00/- रुपये बताया गया था। आगे पूछे गए प्रश्न के उत्तर में, उन्होंने बताया कि वह फ्लैट की डिलीवरी लेने के समय 2 साल की अवधि के भीतर 10,00,000/- रुपये की राशि बचाने का इरादा रखते हैं। जब दो साल के भीतर इतनी बड़ी बचत की लगभग असंभवता के बारे में आगे पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपना रुख बदल दिया और कहा कि "मैंने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ बातचीत की है जिन्होंने ऋण प्रदान करने का वादा किया था लेकिन उन्होंने पूर्व स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे बहाना बनाया कि "मेरे द्वारा अपने परिवार और

दोस्तों से वित्तीय सहायता लेने के लिए इस्तेमाल किया गया वाक्य व्यक्तिगत बचत के तहत था न कि व्यक्तिगत ऋण के तहत।" इसके बाद, जब उनसे सभी बचत विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कार्यालय को सूचित किया कि उन्होंने कथित तौर पर यह कहते हुए लेनदेन को रद्द कर दिया है कि बिल्डर ने उनसे राशि लेने के बाद फ्लैट किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है और उसके बाद उन्होंने बिल्डर के खिलाफ सिविल कोर्ट, जमशेदपुर का रुख किया है।

51. उपर्युक्त आधारों पर स्क्रीनिंग कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि रिट याचिकाकर्ता की सेवाओं का उपयोग किसी भी अधिकारी द्वारा शायद ही कभी किया गया है।

52. इस प्रकार, उपरोक्त के अवलोकन से, यह संक्षेप में कहा जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित "मृत लकड़ी" अभिव्यक्ति इस अधिकारी का सटीक वर्णन करती है क्योंकि वह अप्रभावी रहा है और उसकी ईमानदारी संदिग्ध है और इसलिए, समीक्षा समिति ने प्रासंगिक दस्तावेजों को देखने और रिकॉर्ड में उपलब्ध अन्य तथ्यों और अपने दिमाग को लागू करने के बाद, यह राय दी है कि यह मौलिक नियम 56 (जे) के तहत प्रावधानों को लागू करने का मामला है।

53. अधिकारियों ने समिति की उक्त सिफारिश पर विचार किया और उसके आधार पर आदेश जारी किया गया। हालांकि, उक्त निर्णय को रिट याचिकाकर्ता ने विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर करके चुनौती दी थी।

54. विद्वान न्यायाधिकरण ने रिट याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया है, जो किया गया है, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा दी गई राय को ध्यान में रखते हुए दिनांक 23.12.2021 के आदेश द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया।

55. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून तय किया गया है जो यह दर्शाता है कि किसी लोक सेवक की सेवा को "मृत लकड़ी" के रूप

में वर्गीकृत किया जा सकता है या नहीं, इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसके संपूर्ण सेवा जीवन को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

56. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जांच समिति द्वारा दी गई राय से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा निर्णय किसी एक मामले में नहीं लिया गया है, बल्कि सम्पूर्ण सेवा रिकार्ड की जांच के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि रिट याचिकाकर्ता की सेवा को मृतप्राय श्रेणी में रखा गया है।

57. सत्यनिष्ठा एवं नैतिक अधमता के विषय पर भी विचार किया गया है, इतना ही नहीं ईपीएफ के अन्तर्गत लाभार्थी के पक्ष में जो धनराशि दी जानी थी, वह नहीं दी गई तथा तत्पश्चात आपराधिक प्रकरण चलाए जाने पर हुए समझौते के आधार पर उक्त आपराधिक प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।

58. इसके अलावा, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 18(2) के तहत लोक सेवक द्वारा दिया जाने वाला घोषणापत्र भी रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेकिन, स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा पैराग्राफ-4.2 के तहत दिए गए संदर्भ के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड के अलावा, पैराग्राफ-4.3 के साथ रिट याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड को भी समग्र रूप से ध्यान में रखा गया है।

59. इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां एकमात्र आधार पर, रिट याचिकाकर्ता को "मृत लकड़ी" के तहत वर्गीकृत करके घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

60. यह आधार लिया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति ने रिट याचिकाकर्ता के मामले में पदोन्नति की संस्तुति की है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यद्यपि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति की संस्तुति की गई थी, लेकिन विभागीय कार्यवाही लंबित होने के कारण, पदोन्नति के लिए उसका मामला लंबित विभागीय कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा में सीलबंद लिफाफे में रखा गया था। उक्त विभागीय कार्यवाही का परिणाम पेंशन का 50 प्रतिशत रोकने की सजा के रूप में सामने आया, इसलिए विभागीय पदोन्नति

समिति द्वारा की गई संस्तुति को प्रभावी नहीं किया गया है, इस प्रकार, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें रिट याचिकाकर्ता को कभी पदोन्नति दी गई हो।

61. इस न्यायालय ने, उपर्युक्त कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं पर समग्रता से चर्चा करने के पश्चात तथा विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश पर वापस आते हुए, पाया है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने स्क्रीनिंग समिति द्वारा दी गई राय पर विचार किया है और उसके आधार पर, प्राधिकरण द्वारा लिए गए विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया है।

62. जहां तक न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति का सवाल है, तो एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर, (1997) 3 एससीसी 261 में रिपोर्ट की गई, जिसके तहत उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गई है। यहां प्रासंगिक पैराग्राफ का संदर्भ दिया जाना चाहिए जो इस प्रकार है:-

> "99. हमारे द्वारा अपनाए गए तर्क के मद्देनजर, हम मानते हैं कि अनुच्छेद 323-ए के खंड 2(डी) और अनुच्छेद 323-बी के खंड 3(डी), जिस सीमा तक वे संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 32 के तहत उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करते हैं, असंवैधानिक हैं। अधिनियम की धारा 28 और अनुच्छेद 323-ए और 323-बी के तत्वावधान में अधिनियमित अन्य सभी विधानों में "अधिकार क्षेत्र का बहिष्करण" खंड, उसी सीमा तक असंवैधानिक होंगे। संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया अधिकार क्षेत्र हमारे संविधान के अलंघनीय मूल ढांचे का एक हिस्सा है। जबकि इस अधिकार क्षेत्र को हटाया नहीं जा सकता है, अन्य न्यायालय और न्यायाधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का निर्वहन करने में एक पूरक भूमिका निभा सकते हैं। संविधान के

अनुच्छेद 323-ए और अनुच्छेद 323-बी के तहत बनाए गए न्यायाधिकरणों में वैधानिक प्रावधानों और नियमों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की क्षमता है। हालाँकि, इन न्यायाधिकरणों के सभी निर्णय उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष जांच के अधीन होंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित न्यायाधिकरण आता है। फिर भी, न्यायाधिकरण कानून के उन क्षेत्रों के संबंध में प्रथम दृष्टया न्यायालयों की तरह काम करना जारी रखेंगे जिनके लिए उनका गठन किया गया है। इसलिए, मुकदमेबाजों के लिए सीधे उच्च न्यायालयों का रुख करना खुला नहीं होगा, भले ही वे संबंधित न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र की अनदेखी करके वैधानिक विधानों की वैधता पर सवाल उठाते हों (सिवाय इसके कि जहाँ विशेष न्यायाधिकरण बनाने वाले विधान को चुनौती दी गई हो)। अधिनियम की धारा 5(6) वैध और संवैधानिक है और इसकी व्याख्या उसी तरह की जानी चाहिए जैसा हमने संकेत दिया है।"

63. कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब आदेश में कोई त्रुटि स्पष्ट हो और वह वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन के दोष से ग्रस्त हो, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग एवं अन्य बनाम अब्दुल हलीम एवं अन्य के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जाए, जिसकी रिपोर्ट (2019) 18 एससीसी 39 में दी गई है, जिसमें पैराग्राफ-30 में निम्नानुसार माना गया है:-

"30. न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय को यह देखना है कि क्या आरोपित निर्णय कानून की स्पष्ट त्रुटि से प्रभावित है। यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या कोई निर्णय रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि से प्रभावित है या नहीं, यह है कि क्या त्रुटि रिकॉर्ड में स्वयं स्पष्ट है या क्या त्रुटि को स्थापित करने के लिए परीक्षण या तर्क की आवश्यकता है। यदि किसी त्रुटि को तर्क की प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जाना है, तो उन बिंदुओं पर जहां उचित

रूप से दो राय हो सकती हैं, इसे रिकॉर्ड के आधार पर त्रुटि नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने सत्यनारायण बनाम मल्लिकार्जुन में एआईआर 1960 एससी 137 में रिपोर्ट किया था। यदि किसी वैधानिक नियम का प्रावधान उचित रूप से दो या अधिक निर्माणों के लिए सक्षम है और एक निर्माण को अपनाया गया है, तो निर्णय रिट कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप के लिए खुला नहीं होगा। यह केवल एक प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान की स्पष्ट गलत व्याख्या, या उसकी अज्ञानता या अवहेलना, या ऐसे कारणों पर आधारित निर्णय है जो कानून में स्पष्ट रूप से गलत हैं, जिसे रिट कोर्ट द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी करके ठीक किया जा सकता है।

64. इसी तरह, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **टीसी बसप्पा बनाम टी. नागप्पा** के मामले में (1955) 1 एससीआर 250 में रिपोर्ट की, जिसमें, यह निम्नानुसार माना गया है: -

"निर्णय या निर्धारण में कोई त्रुटि भी उत्प्रेषण रिट के लिए उत्तरदायी हो सकती है, लेकिन यह कार्यवाही के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली एक स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए, उदाहरण के लिए जब यह कानून के प्रावधानों की स्पष्ट अज्ञानता या अवहेलना पर आधारित हो। दूसरे शब्दों में, यह एक स्पष्ट त्रुटि है जिसे उत्प्रेषण द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन यह केवल एक गलत निर्णय नहीं है।"

65. उपर्युक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब ऐसे आदेश में त्रुटि स्पष्ट हो।

66. यह न्यायालय, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, न्यायिक समीक्षा के दायरे पर विचार करते हुए, इस विचार पर है कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश ऐसा आदेश नहीं है जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग हस्तक्षेप करके किया जाना है।

67. परिणामस्वरूप, तत्काल रिट याचिका विफल हो जाती है और खारिज की जाती है।

68. लंबित अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा हो जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, जे.)

मैं सहमत हूं

(अरुण कुमार राय) **(अरुण कुमार राय, जे.)**

रोहित/एएफआर

अनुवादक : एडवोकेट मधु कुमारी